

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9042/4512

दिनांक: 3-3-2020

सेवा में

वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय: Diversion of 0.0823 ha. of forest land for access to retail outlet of BPC Ltd. along Barwala-Agroha road, near km. stone 87, at Village Khedar, under forest division and District Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/40901/2019

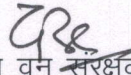
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9042/4135 दिनांक 17-2-2020 ।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.0823 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त 37 पौधे नष्ट होंगे । अतः इन 13 वृक्षों (वाल्युम 2.75 m³) को कटवाने व 37 पौधे नष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 169198+68983=238181/- रुपये की राशि से Balak Minor RD 40-50 के दोनों ओर 165+74=239 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन०पी०वी० की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन०पी०वी० की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
- (vii) यह अनुमति 15 वर्षों के लिए अर्थात् 3-3-2035 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी ।
- (viii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-7-2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए ।
- (ix) पेट्रोल पम्प/Fueling Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए ।
- (x) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) के साथ-साथ व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा ।
- (xi) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

- (xii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
 - (xiii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
 - (xiv) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
 - (xv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
 - (xvi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
 - (xvii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
 - (xviii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29-1-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
 - (xix) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।
3. सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । वन मण्डल अधिकारी इन शर्तों की पालना सुनिश्चित करेगा ।


 मुख्य वन सुरक्षक (एफ0सी0ए0)
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
 पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, हिसार ।
3. Territory Manager (Retail), BPC Ltd., Hisar.